



प्रेषक,

अशोक कुमार राम,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सिद्धार्थनगर।

नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 27 जुलाई, 2026

विषय:- पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर की 6 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1412/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2024-25, दिनांक 27.02.2026 तथा जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सिद्धार्थनगर कापत्र संख्या-7/पू0वि0नि0(राज्यांश)/2026-27, दिनांक 02.04.2026 एवं पत्र संख्या-399/पू0वि0नि0(राज्यांश-24-25)/2026-27, दिनांक 02.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद सिद्धार्थनगर की 6 परियोजनाओं से संबंधित प्रपत्र-यूसी/फार्म-42 आई, बी0 एम0-15 व एनेग्जर-2, फोटोग्राफ, निरीक्षण आख्या एवं बचत पत्र पर सूचना उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजनाओं हेतु स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति नियोजन अनुभाग-1, उप0 शासन के शासनादेश संख्या-25/2025/577पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/26/2025, दिनांक 28.03.2025 द्वारा प्रदान की गई है। तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अगली किश्त के रूप में उनके सम्मुख स्तम्भ-11 में अंकित धनराशि, जिनका कुल योग रु0 217.45395 लाख (रूपये दो करोड़ सत्रह लाख पैंतालिस हजार तीन सौ पंचानवे मात्र) है, को पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 से अवमुक्त करते हुये अधोलिखित प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40

(धनराशि रु0 लाख में)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र.	परियोजना का नाम	लम्बाई कि.मी . में	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	अब तक अवमुक्त धनराशि	कार्य के अनुबन्ध की लागत	कार्य के अनुबंध की लागत अनुमन्य चार्जज सहित	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की धनराशि	गठित अनुबन्ध के आधार पर मांग की गयी धनराशि	आंकलित की गयी अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वायताल भट्टे से रजियाडीह गांव होते हुए पक्की सड़क तक शून्य से लेपन कार्य।	1.93	143.74	71.87	119.22547	141.87830	1.8617	70.00830	70.00830	70.00830
2	एन०एच० 730, करौदा मसिना सम्पर्क मार्ग से नगरा गांव तक पिच रोड निर्माण कार्य।	0.92	59.67	29.84	49.29883	58.66560	1.0044	29.31860	28.82560	28.82560
3	महदेवा-पटनी जंगल पी०डब्ल्यू०डी ० रोड से काकोरी गांव होते हुए महदेवा खुर्द तक पिच रोड निर्माण कार्य।	1.31	89.04	44.52	73.57395	87.55300	1.487	43.76874	43.03300	43.03300
4	वि०ख० भनवापुर के हथपरा अब्दुल	0.5	45.87	22.93	38.13366	45.37905	0.49095	22.83039	22.44905	22.44905

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	सलाम के घर से शाकिरा के घर तक सी० सी० कार्य।									
5	टेऊवा ग्राम केवटहिया डीह से डोकम प्राइमरी पाठशाला तक सी०सी० निर्माण कार्य।	0.65	59.85	29.92	49.77848	59.23639	0.61361	29.81418	29.31639	29.31639
6	विकास खण्ड-खेसरहा में ग्राम-बेलहरा गांव के पूरब पक्की सड़क तक सी०सी० निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 500 मीटर।	0.50	48.65	24.33	40.46354	48.15161	0.49839	24.22625	23.82161	23.82161
	योग -	5.81	446.82	223.41	370.47393	440.86395	5.95605	219.96646	217.45395	217.45395

(रु० दो करोड़ सत्रह लाख पैंतालिस हजार तीन सौ पंचानबे मात्र)

3. शर्तें एवं प्रतिबन्ध:-

- (1) यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर किसी अन्य परियोजना पर व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।
- (2) सम्बन्धित जिलाधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबद्ध ढंग से पूर्ण गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आवंटित धनराशि का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो। यदि धनराशि का दुरुपयोग होगा तो उसके लिये आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाय, कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूर्ण करा लिया जाय।

(4) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में आवंटित धनराशि का पूर्ण रूप में सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा पूर्व में कराये गये कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में कदापि नहीं रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगे।

(8) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही किया जाय।

(10) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1 उ०प्र०शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(11) सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ०प्र०व उ०प्र० शासन को प्रेषित किये जायेंगे।

(12) स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2026-2027 के अंत तक अवश्य कर लिया जाय तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(13) परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था-फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र०शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(14) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(15) परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्थान के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

(16) नियोजन विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/ दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण वितरण संबंधी कार्य आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस० पी०/टी०एस०पी० हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(18) उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

(19) विषयगत कार्यों के संबंध में पूर्व में निर्गत मूल शासनादेश के नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय कुल ₹ 217.45395 लाख (रुपये दो करोड़ सत्रह लाख पैंतालिस हजार तीन सौ पंचानबे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखा शीर्षक "4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

भवदीय,

(अशोक कुमार राम)

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, माओ मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, माओ मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल।
8. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
12. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड सिद्धार्थनगर ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हO-

(अशोक कुमार राम)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।